



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5B/Budget-NP/sanct-12/2015-16 1025

दिनांक: 18.3.16

प्रेषक: वी०सी० निगम, भा०ब०स०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी, प्रतिपालक
झारखण्ड, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-यानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन, 110-वन्य जीव परिरक्षण, "01-अम्यारण्य" उपशीर्ष में राशि की अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / वी०टी०ई०-18/2014-15 / 300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक -7 / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / वी०टी०/04/2015-16/796/ बजट, राँची दिनांक-22.12.2015, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक-4 / गै०यो०ब०-05/2016- 1499, दिनांक 15.03.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में 01-अम्यारण्य उपशीर्ष के 14-विदेश यात्रा भत्ता इकाई में 1.830 लाख रु० तथा 10-15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि इकाई में 0.200 लाख रु० यानि कुल राशि 2.030 लाख रु० की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29 / वी०टी०ई०-18/2014-15 / 300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-7 / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / वी०टी०/04/2015-16/796/ बजट, राँची दिनांक-22.12.2015, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक-4 / गै०यो०ब०-05/2016- 1499, दिनांक 15.03.2016, तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-4-05/98 2561/पि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश पले) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003 / 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विषत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन वन प्रमाणल पदाधिकारी, कोर एरिया, व्याप्र परियोजना, पलामू के पत्र सं०-170, दिनांक 02.02.2016 के आलोक में किया जाता है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- PWLEFW/01-15-16/11EFW की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

यात्रा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - PWLEFW/01-15-16/11EFW

दिनांक -

18-Mar

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240602110010110 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - वर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 01 - अभ्यारण्य 01 - वेतन एवं भ्रते 10 - 15.11.2000 के पूर्व का वकाया वेतनादि	111031	DRNFWL076 PRADEEP KUMAR .IFS.	20,000.00 रुपये बीस हजार
2	N 19 240602110010214 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - वर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 01 - अभ्यारण्य 02 - यात्रा भत्ते 14 - विदेश यात्रा भत्ता	111028	DRNFWL076 PRADEEP KUMAR .IFS. PCCF,WILD LIFE & WL.WARDEN JHA	183,000.00 रुपये एक लाख दिवर्यासी हजार

योगः

203,000.00

क्रमिक योगः

रुपये दो लाख तीन हजार

(B. C. NIGAM)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

172 16/20 Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand, Ranchi

Date: 18/3/2016